[2019] 11 एस. सी. आर 829

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर और अन्य

बनाम

नीतू हर्ष और अन्य

(सिविल अपील संख्या 6696/2019)

अगस्त 29, 2019

[आर. भानुमति और ए. एस. बोपन्ना, जेजे.]

न्यायिक सेवाएं - राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 - आर.10(4)- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995- धा. 36 - अपीलार्थी ने सिविल जज संवर्ग के सिविल जज-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के 72 पदों के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आवेदन मंगाया - इनमें से दो पदों को विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखा गया था - निजी प्रत्यर्थी ने सामान्य श्रेणी का संकेत देते हुए आवेदन किया और भिन्न रूप से सक्षम श्रेणी के तहत दावे के संकेत के लिए प्रदान किए गए कॉलम में उल्लेख किया गया था कि "नहीं" - निजी प्रत्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में सफल घोषित किया गया था - उन्होंने 136 अंक प्राप्त किए थे और उन्हें सीरियल No.137 में रखा गया था - भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियों के विरुद्ध, एक जिन आवेदक ने 138 अंक प्राप्त किए थे, वे सीरियल No.57 पर थे - इसके बाद, निजी ने इस श्रेणी के तहत भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को दृष्टिबाधित के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के लिए अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने के अनुरोध के साथ अभ्यावेदन किया - प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया गया था - रिट याचिका - उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो रिक्तियों के खिलाफ सिविल जज कैडर में नियुक्ति के लिए निजी प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया-अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए विकलांगता प्रमाण पत्र में स्थायी विकलांगता का विवरण हेमिप्लेजिया-गैर-कार्यात्मक हाथ दिखाया गया है -हालाँकि, उनके द्वारा किए गए

अभ्यावेदन में उन्होंने दावा किया कि वह दृष्टिबाधित थीं और उसी विकलांगता प्रमाण पत्र का संदर्भ दिया -अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः तत्काल मामले में, क्या निजी प्रत्यर्थी द्वारा दावा की गई अक्षमता एक लोकोमोटर अक्षमता है या दृष्टि हानि अपने आप में एक बहस योग्य प्रश्न है, न्यायालय के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना संभव नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में एक विशेष तरीके से इस पर विचार करना उचित नहीं होगा-यह सच है कि अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर हैं जब कोई दावा सही है तो अधिकार के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए - हालांकि, जब दावा नहीं किया गया था और बहस योग्य मुद्दे हैं, तो उच्च न्यायालय के निर्देश को उचित नहीं माना जा सकता है - इससे भी अधिक, अपीलकर्ताओं ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के संदर्भ में काम किया था और रिक्त विकलांग श्रेणी के लिए दूसरी श्रेणी से एक उम्मीदवार को नियुक्त किया था - इसलिए, जब ऐसी नियुक्ति की गई है, तो इस समय ऐसे उम्मीदवार को परेशान करना उचित नहीं है - इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर योग्य नहीं है - भारत का संविधान - अनुच्छेद 233 और 234 सहपठित अनुच्छेद 309 के प्रावधान।

अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1. यद्यपि निजी प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कॉलम 3.1-'विकलांग व्यक्ति' के खिलाफ 'नहीं' का संकेत देना एक गलती थी, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉलम 2.4-'श्रेणी' के खिलाफ, इसे 'सामान्य' के रूप में कहा गया है। इसके अलावा सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क रु 250 / - जबकि योग्य विकलांग आवेदक के लिए यह रुपये 50 तय किया गया है। निजी प्रत्यर्थी ने अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करने के अलावा रुपये 250 / - के रूप में का शुल्क का भुगतान किया है। वर्तमान में विकलांगता प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2010 पर भरोसा किया जाता है परंतु यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि इसे आवेदन के साथ संलग्न किया गया था या साक्षात्कार के पूरा होने तक प्रस्तुत किया गया था। इस पहलू पर, यह तर्क देने के लिए कि निजी प्रत्यर्थी इसके विपरीत दावा नहीं कर सकता है, इसमें अपीलकर्ताओं ने *जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग बनाम इसरार अहमद* के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। [पैरा 15] [841-ए-डी]

2. इसके अलावा *महापंजीयक, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम श्रीनिवास प्रसाद शाह और अन्य* के मामले के निर्णय का अवलंब लिया गया। जिस पर इस न्यायालय ने ऐसे मामले में दावे को अस्वीकार कर दिया है जहां आवेदन में आरक्षण की श्रेणी का संकेत दिया गया था, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और सामान्य उम्मीदवार के लिए लागू शुल्क का भुगतान किया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी यहाँ इस तथ्य के अलावा निजी प्रत्यर्थी के दावे में अंतर्निहित विरोधाभासों को भी संदर्भित करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत विचार नहीं किया जाना चाहिए। यह भी बताया गया है कि वर्तमान में जिस अक्षमता प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2010 पर भरोसा करने की मांग की गई है, उसके अनुसार भी स्थायी अक्षमता का विवरण हेमिप्लेजिया-गैर-कार्यात्मक के रूप में दिखाया गया है। उस पृष्ठभूमि में यह बताया गया है कि हालांकि इसमें दर्शाई गई अक्षमता की प्रकृति यही है जो लोकोमोटर अक्षमता होगी, दिनांकित 28.11.2016 के अभ्यावेदन में, जिसे देर से बनाया गया था, निजी प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि वह दृष्टिबाधित है, 80 प्रतिशत से अधिक और किया गया संदर्भ उसी दिनांकित 05.07.2010 अक्षमता प्रमाण पत्र का है। निजी उत्तरदाता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निसन्देह हेमिप्लेजिया से संबंधित एक लेख का उल्लेख किया है जिसमें देखने में कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। विवाद की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि तत्काल तथ्यों में श्रेणी के तहत आवेदन में दावा किया जाना चाहिए था और आवेदन के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी क्योंकि विकलांगता की प्रकृति एक ऐसा मामला था जिस पर संबंधित भर्ती अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना था, यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा जांच पर होना चाहिए। यदि हेमिप्लेजिया के परिणामस्वरूप दृष्टि हानि पर विचार किया जाना था, तो दृष्टि हानि द्वारा अक्षमता का प्रतिशत भी प्रासंगिक होगा और उसी को उचित स्तर पर निर्धारित करने की आवश्यकता थी। (पैरा 16-17)

3. इसलिए, ऐसी परिस्थिति में जहां मुद्दा यह है कि क्या दावा की गई अक्षमता लोकोमोटर अक्षमता या दृष्टि हानि है और अपने आप में एक बहस का विषय होने के कारण, न्यायालय के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना संभव नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में एक विशेष तरीके से इस पर विचार करने का आदेश भी उचित नहीं होगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई मामला बनाया जाता है तो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर अधिकार के रूप में प्रदान किए जाने चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, तत्काल तथ्यों में जब दावा नहीं किया गया था और बहस योग्य मुद्दे हैं, हालांकि हम निजी प्रत्यर्थी के कारण के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। यह और भी अधिक है, ऐसी परिस्थिति में जहां अपीलकर्ताओं ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 10 के संदर्भ में कार्य किया था, जब कोई अन्य दावा उपलब्ध नहीं था और उन्होंने किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्त किया था और जब इस तरह की नियुक्ति की गई है तो इस समय ऐसे उम्मीदवार को परेशान करना भी उचित नहीं होगा। उपरोक्त सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 04.05.2017 आदेश को अस्थिर पाते हैं और उसे रद्द करते हैं। [पैरा 18] [842-एफ-एच; 843 ए-बी]

सचिव के माध्यम से भारत सरकार और अन्य बनाम रानी प्रकाश गुप्ता **(2010) 7 एससीसी 626: [2010] 7 एससीआर 851** ; भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड **(2013) 10 एससीसी 772: [2013] 9 एससीआर 1023;** राजीव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य **(2016) 13 एससीसी 153: [2016] 3 एस. सी. आर. 407;** वी. सुरेंद्र मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य **(2019) 4 एससीसी 237 [2019] 1 एस. सी. आर. 954;** जे एंड के लोक सेवा आयोग v. इसरार अहमद **(2005) 12 एससीसी 498;** महापंजीयक, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम श्रीनिवास प्रसाद शाह और अन्य। **(2013) 12 एससीसी 364: [2013] 3 एस. सी. आर. 211-संदर्भित किया।**

निर्णयज विधि संदर्भ

[2010] 7 एससीआर 851	**संदर्भित किया**	**पैरा 10**

[2013] 9 एससीआर 1023	**संदर्भित किया**	**पैरा 10**
[2016] 3 एससीआर 407	**संदर्भित किया**	**पैरा 10**
[2019] 1 एससीआर 954	**संदर्भित किया**	**पैरा 14**
(2005) 12 एससीसी 498	**संदर्भित किया**	**पैरा 15**
[2013] 3 एससीआर 211	**संदर्भित किया**	**पैरा 16**

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील सं. 6696/2019

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 692/ 2017 के निर्णय और आदेश दिनांक 04.05.2017 से उद्भूत।

अपीलार्थी के लिए अधिवक्ता, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, , श्री. मुकुल कुमार, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता, पल्लव शिशोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, एच. डी. थानवी, भीम कांत व्यास, रिमझिम माथुर, वी. के. हर्ष, ऋषि मटोलिया।

ए. एस. बोपन्ना, जे. द्वारा न्यायालय का निर्णय दिया गया

1. इजाजत दी जाती है ।

2. इसमें अपीलकर्ता डी. बी. सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 692/2017 वाली रिट याचिका में क्रमांक 2 और 3 थे जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा विचार किया गया और उसका निपटारा किया गया। दिनांक 04.05.2017 के आदेश के माध्यम से रिट याचिका की अनुमति दी गई और अपीलकर्ताओं को राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित दो रिक्तियों के खिलाफ सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सिविल न्यायाधीश सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्ति के लिए निजी प्रत्यर्थी की उम्मीदवारी पर विचार करने और यदि वह अन्यथा पात्र है तो उक्त श्रेणी की योग्यता के अनुसार नियुक्ति प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को यहाँ मुख्य रूप से इस तर्क पर

चुनौती दी गई है कि निजी प्रत्यर्थी ने शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के लिए विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ आवेदन नहीं किया था, बल्कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था और योग्यता सूची के अनुसार वह नियुक्त होने की हकदार नहीं थी क्योंकि सामान्य श्रेणी में अधिक मेधावी उम्मीदवार थे और नियुक्ति की गई थी, प्रक्रिया पूरी हो गई है।

3. संक्षिप्त तथ्य यह है कि इसमें अपीलकर्ताओं ने सिविल जज संवर्ग में न्यायाधीश-सह-न्यायिक मजिस्ट्रेट के 72 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की थी। इनमें से दो पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे गए थे। इसमें निजी प्रत्यर्थी ने उक्त अधिसूचना का जवाब दिया था, लेकिन अपनी श्रेणी को "सामान्य" के रूप में दर्शाते हुए आवेदन दायर किया था और दिव्यांग श्रेणी के तहत दावे के संकेत के लिए दिए गए कॉलम में "नहीं" का उल्लेख किया था। इसलिए, सभी उद्देश्यों के लिए निजी प्रत्यर्थी को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना गया और तदनुसार प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थी। सफल घोषित होने पर वह मुख्य परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थी और उसके बाद साक्षात्कार में भी सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में बिना विकलांग प्रमाण पत्र पर भरोसा किए उपस्थित हुई थी। परिणाम 15.11.2016 को घोषित किया गया था। उक्त सूची में सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा किया गया था। याचिकाकर्ता ने 136 अंक प्राप्त किए थे और उसे क्रम संख्या 137 पर रखा गया था। भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए दो रिक्तियों के मुकाबले, एक आवेदक जिसने 138 अंक प्राप्त किए वह क्रमांक संख्या 57 पर था। इसके बाद निजी ने एक अभ्यावेदन दिनांक 28.11.2016 किया जिसमें दृष्टिबाधित के रूप में विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने और नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात, निजी प्रत्यर्थी को सूचित किया गया था कि उसकी उम्मीदवारी को विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता है। निजी प्रत्यर्थी ने पीड़ित होने का दावा करने के दृष्टिकोण से रिट याचिका दायर की है जिसमें उसके अनुरोध पर विचार करने के लिए निर्देश की मांग की गई है। भिन्न रूप से सक्षम श्रेणी के तहत विचार की मांग करते हुए दावा किया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी को 80

प्रतिशत अक्षमता है जैसा कि सक्षम डॉक्टर द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र दिनांक 05.07.2010 में दर्शाया गया है।

4. उच्च न्यायालय ने इस तर्क पर ध्यान देते हुए, हालांकि एक विस्तृत आदेश पारित किया था, मुख्य विचार यह प्रतीत होता है कि हालांकि दो रिक्तियां भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी गई थी, केवल एक रिक्ति को उम्मीदवार सुश्री रेणु मोटवानी क्रमांक संख्या 57 को नियुक्ति प्रदान करने के माध्यम से भरा गया है। इस संबंध में, हालांकि अभिलेख पर कोई निश्चित सामग्री नहीं है, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि वर्ष 2013 में आयोजित इसी पद के लिए पहले की परीक्षा में निजी प्रत्यर्थी को शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वह 80 प्रतिशत विकलांग थी। उस दृष्टिकोण में, हालांकि यह विवाद में नहीं है कि निजी प्रत्यर्थी ने आवेदन में अपनी श्रेणी को "सामान्य" के रूप में इंगित किया था, उच्च न्यायालय का विचार था कि भले ही उम्मीदवार द्वारा एक गलती की गई थी, उसके बाद उसके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए था और इस संबंध में यह देखा गया था कि विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसके बाद "पीडब्ल्यूडी अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के उद्देश्य,को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। इस संबंध में उक्त अधिनियम के तहत विचार से संबंधित कानून की स्थिति पर ध्यान दिया गया और उसमें निहित प्रावधान कि रिक्तियों को किसी अन्य श्रेणी द्वारा नहीं भर जाएगा बल्कि उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा पर भी विचार किया गया। उस पृष्ठभूमि में यहाँ इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या उच्च न्यायालय पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत भिन्न रूप से सक्षम को अवसर प्रदान करने के प्रस्ताव को लागू करने में अपने दृष्टिकोण में उचित था, इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान मुद्दा राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में निहित प्रावधानों की पृष्ठभूमि में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है और रिक्त पद को भरा जा चुका है। इसके अलावा, मुद्दा यह भी है कि क्या निर्देश उचित है जब आरक्षित श्रेणी के लाभ के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।

5. हमने अपीलार्थियों की वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, निजी परिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पल्लव शिशोदिया को सुना और अपील पत्रों का अवलोकन किया।

6. सिविल न्यायाधीश संवर्ग, 2016 में सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करते हुए अपीलार्थियों द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.03.2016 को आरक्षण और भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों से संबंधित विचार करने की प्रक्रिया नीचे दी गई हैः

कुल पदों की संख्या	वर्ष	आरक्षित			विकलांग व्यक्तियों (भिन्न रूप से सक्षम)	
70	मौजूदा रिक्तियां	37 जिनमे से 11 पद महिलायों हेतु आरक्षित	11 जिनमे से 3 पद महिलायों हेतु आरक्षित	8 जिनमे से 2 पद महिलायों हेतु आरक्षित	14 जिनमे से 4 पद महिलायों हेतु आरक्षित	70 रिक्तियों में से, 2 पद विकलांग व्यक्तियों हेतु आरक्षित
2	बैकलाग	-	-	2 (बैकलाग)	-	-

" 3. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के बारे मेंः

क. राजस्थान विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार, विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित बताए गए उपरोक्त पद लोकोमोटर विकलांग और सेरेब्रल पाल्सी (एल. डी. और सी. पी.) और दृष्टिबाधित आवेदकों के लिए आरक्षित हैं। उपरोक्त आरक्षित पदों को उपरोक्त उल्लिखित विकलांग आवेदकों के लिए आरक्षित किया गया है।

लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड सेरेब्रल पाल्सी (एल. डी. एंड सी. पी.)

ओ. एल.-एक पैर प्रभावित (आर या एल)

बी. एल.-दोनों पैर प्रभावित (गतिशीलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए)

ओ. ए.-एक भुजा प्रभावित (आर या एल)

नेत्रहीन (अंधा और कम दृष्टि)

बी - ब्लाइंड (गतिशीलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए) एल. वी.-कम दृष्टि (गतिशीलता को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा) "

"5. महिलाओं और विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के लिए योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता के मामले में, ये पद राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया और तरीके के अनुसार भरा जाएगा।

6. आरक्षण का लाभ लेने हेतु एक विवाहित महिला उम्मीदवार को नाम, निवास की जगह और पिता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (यस सी /यस ती/ ओ बी सी) प्रस्तुत करना होगा।"

"5. परीक्षा शुल्कः

आवेदक को उसकी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा।

क. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों, पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर/अन्य राज्यों के आवेदकों का परीक्षा शुल्क रु. 250/- होगा।

ख. अन्य पिछड़े वर्ग/विशेष पिछड़े वर्ग के गैर-क्रीमिलेयर के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रु.150/- होगा।

ग. राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों और सभी योग्य विकलांग आवेदकों का परीक्षा शुल्क रु.50/- होगा।"

7. उपरोक्त अधिसूचना के अनुक्रम में निजी प्रत्यर्थी ने अपना आवेदन भरा एवम कालम 2.4 में सामान्य श्रेणी चिह्नित किया, कालम 3.1 "विकलांग श्रेणी में "न" चिह्नित किया"। घोषणा में दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और उनका पालन करने से पहले अधिसूचना के नियमों और शर्तों, निर्देशों और प्रासंगिक नियमों को

ध्यान से पढ़ा है। यह भी घोषित किया जाता है कि दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सही है। आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए कॉलम में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए शुल्क के रूप में निर्धारित रु.250/- की राशि के साथ रु.10/- के कमीशन शुल्क, कुल रु. 260 का भुगतान किया जाता है। आवेदन के क्रम में होने के अनुसार प्रवेश पत्र रोल न. 5046 प्रदान करते हुए उत्पन्न किया गया था और उसमें श्रेणी को "सामान्य" के रूप में इंगित किया गया था। उपरोक्त आधार पर निजी प्रत्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुआ थी। उसी के आधार पर योग्यता के क्रम में सभी उम्मीदवारों के अंकों का विवरण 15.11.2016 पर प्रकाशित किया गया था। इसके बाद ही निजी प्रत्यर्थी ने 28.11.2016 दिनांकित एक अभ्यावेदन दिया जिसमें वह दावा करती है कि वह 80 प्रतिशत से अधिक दृष्टिबाधित है और चिकित्सा बोर्ड ने 05.07.2010 दिनांकित विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया। यह अभ्यावेदन में संकेत दिया गया है कि उन्होंने अनजाने में आवेदन पत्र में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष के दौरान वह विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हुई थीं और इसलिए उन्हे अन्य रिक्त पद के विरुद्ध माना जाता है।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि निजी ने आवेदन और दावे में भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की श्रेणी के लिए कोटा के तहत दावा नहीं किया था। वर्तमान में केवल इसलिए किया गया है क्योंकि केवल एक पद लोकोमोटर विकलांग व्यक्ति द्वारा भरा गया था और दूसरा पद यदि कोई दावा किया गया होता तो दृष्टिबाधित के लिए होता और इस तरह निजी प्रत्यर्थी इस स्तर पर दृष्टिबाधित होने का दावा कर रहा है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के अनुसार खाली सीट को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरना होगा और इस तरह की रिक्ति को अगले वर्ष तक आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उस परिस्थिति में, यह तर्क दिया जाता है कि उन रिक्तियों में से जो आरक्षित थीं विकलांग व्यक्ति, दूसरी रिक्ति जो एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए उपलब्ध थी, को दृष्टिबाधित व्यक्ति की अनुपस्थिति में सामान्य श्रेणी के अधिक मेधावी उम्मीदवार द्वारा भरा गया है, जो नियमों में निर्दिष्ट सामान्य प्रक्रिया है।

9. दूसरी ओर निजी प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ दिया गया है, विशेष रूप से धाराओं में निहित परिभाषाओं के लिए, धारा 2 (बी) से (ई), (ओ), (पी), (टी) के साथ-साथ धारा 18 से 32, 33 और 36 के लिए भी, जैसा कि उसमें निहित है।

10. हालाँकि, हमें उक्त प्रावधानों के लिए अधिक विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं लगता है क्योंकि तत्काल मामले में ऐसा नहीं है कि भर्ती अधिसूचना में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था न ही यह ऐसा मामला है जहां आरक्षण प्रदान नहीं करने के आधार पर भर्ती अधिसूचना को चुनौती दी गई है। निजी प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विभिन्न निर्णयों पर भरोसा किया गया। सचिव के माध्यम से ***भारत सरकार और अन्य बनाम रानी प्रकाश गुप्ता*** (2010)7एस.सी.सी. 626; ***भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड*** (2013) 10 एस. सी. सी. 772 और ***राजीव कुमार गुप्ता और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य*** (2016) 13 एस. सी. सी. 153, जिसमें इस न्यायालय ने रिक्तियों के बैकलॉग से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया है, नियोक्ता ने पद की पहचान नहीं की है, कैडर के अनुसार सरकार और वैधानिक निकायों पदों हेतु आरक्षण का कर्तव्य, सहायक नहीं होगी क्योंकि उच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल मामले में रिट याचिका इस आधार पर नहीं की गई थी कि वर्ष 2016 में जारी अधिसूचना में विकलांग व्यक्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए थे। यद्यपि निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष तर्क दिया है कि पहले के वर्षों से पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था और पिछले वर्ष की रिक्त रिक्तियों को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता थी, लेकिन यह भी उच्च न्यायालय के समक्ष विवाद नहीं था और न ही निजी ने उन आधारों पर स्वयं को भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की श्रेणी के तहत एक उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करके उक्त अधिसूचना दिनांक 12.03.2016 को चुनौती दी है।

11. हालाँकि, मामले का एक पहलू जिस पर ध्यान दिया जाना है, वह विद्वान वरिष्ठ अधिवकता के तर्क के संबंध में है कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश टिकाऊ है क्योंकि रिक्ति को किसी अन्य श्रेणी द्वारा नहीं भरा जा सकता था, लेकिन इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए था और उस परिस्थिति में यदि पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 36

में निहित प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है, तो राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 10 (4) के संचालन में अपीलकर्ताओं की कार्रवाई स्थायी नहीं होगी। इसलिए, निजी प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी स्थिति में वर्ष 2016 के लिए चयन में भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए आरक्षित एक पद को उम्मीदवार की कमी के कारण अगली भर्ती के लिए आगे ले जाने के लिए खाली रखा जाना चाहिए था और उस पृष्ठभूमि में पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 36 को ध्यान में रखते हुए, अगली भर्ती के लिए आगे बढ़ने के बजाय एक उपलब्ध भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति द्वारा भरने का आदेश देना उचित है।

12. मामले के इस पहलू को समझने के लिए पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 36 में निहित प्रावधान पर ध्यान देना आवश्यक होगा जो इस प्रकार है:

> "**न भारी गई रिक्तियों का अग्रनीत किया जाना**- जिन रिक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं भरा गया है-जहां किसी भी भर्ती वर्ष में धारा 33 के अधीन किसी उपयुक्त निशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से भरा नहीं जा सकता है, वहाँ ऐसी रिक्ति अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जाएगई और यदि अगले भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त निशक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो इसे पहले तीनों प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तन द्वारा भर जा सकेगा और केवल तभी जब उस वर्ष में पद के लिए कोई निशक्त व्यक्ति की उपलब्धता नहीं नियुक्त करके रिक्ति को भरेगा;
>
> परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है की किसी निश्चित प्रवर्ग के व्यक्ति को नियोजित नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियां समुचित सरकार के पूर्वानुमोदन से तीनो प्रवर्गों के बीच परस्पर परिवर्तित की जा सकेगी।

13. इस पृष्ठभूमि में राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिसे अधिसूचना दिनांक18.01,2010 के तहत बनाया गया है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। अधिसूचना इस प्रकार है;

कार्मिक विभाग

(ए-जीआर. 2)

अधिसूचना

जयपुर, 18 जनवरी, 2010

जी यस आर 81 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान के उच्च न्यायालय के परामर्श से राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा से संबंधित शर्तों और अन्य मामलों में भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात्ः - "

उक्त राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, नियम 10 (4) इस प्रकार है:

"(1) x x x x

(2) x x x x

(3) x x x x

(4) राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के रोजगार नियम, 2000 में परिभाषित विकलांग व्यक्तियों के लिए पदों का आरक्षण 3 प्रतिशत श्रेणी-वार होगा जो क्षैतिज होगा और केवल प्रारंभिक भर्ती के समय उपलब्ध होगा। किसी विशेष वर्ष में योग्य और उपयुक्त विकलांग व्यक्तियों की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

बशर्ते कि सीधी भर्ती में ऐसी सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या कुल रिक्तियां के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।"

14. इसलिए बनाया गया नियम भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत है जो न्यायिक अधिकारियों के चयन से संबंधित है, जिसके लिए मानदंड नियमों में निर्धारित किए जा सकते हैं। मामले के इस पहलू पर निर्णय ***वी. सुरेंद्र मोहन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*** (2019) 4 एस. सी. सी. 237 के मामले में अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा निर्भरता उपयुक्त होगी। उक्त मामले में, यह न्यायालय सिविल न्यायाधीश (कनिष्क) के पद के लिए चयन से संबंधित मामले में तमिलनाडु न्यायिक सेवा विभाग) को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके तहत अधिसूचना ने चयन के लिए आंशिक रूप से नेत्रहीन और आंशिक रूप से बधिर के लिए 40 से 50 प्रतिशत की अक्षमता का प्रतिशत निर्धारित किया। जिस उम्मीदवार ने कार्रवाई की थी, उसके पास 70 प्रतिशत अक्षमता का उल्लेख करने वाला प्रमाण पत्र था। चूंकि पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 33 के तहत 40 से 50 प्रतिशत की सीमा तक विकलांगता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, इसलिए अधिसूचना के अनुसार विकलांगता पर प्रतिबंध को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जो अपील में इस न्यायालय पहुचा। उस संदर्भ में मामले पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर जोर दिया था कि क्या विकलांगता पर प्रतिबंध पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का उल्लंघन है और क्या इसे अलग किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में, तमिलनाडु राज्य न्यायिक सेवा (संवर्ग और चयन) नियम 2007 के रु-बरु पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की वैधता जाँची गई और जिस शक्ति के तहत नियम 2007 (जो राजस्थान नियम, 2010 के समान है) को संविधान के प्रावधानों के तहत सशक्त किया जा रहा है। यद्यपि उक्त निर्णय पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1995 की धारा 36 के संबंध में नहीं है, प्रथम दृष्टया जब यह देखा जाता है कि नियम 10 (4) जो नियम 2010 में निहित है को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, संचालित किया जा रहा नियम उचित होगा। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, न तो अधिसूचना और न ही नियम को चुनौती दी गई थी। इसके संदर्भ में अपीलकर्ताओं ने यह ध्यान में रखते हुए कि कोई अन्य आवेदन भिन्न रूप से अलग श्रेणी में नहीं है तब अगले मेधावी छात्र का चयन करके अन्य श्रेणी से पद भरा गया है।

अतः ऐसी परिस्थिति में जहां नियम को कोई चुनौती नहीं दी गई है, उस सीमा तक की कार्रवाई उचित होगी।

15. इसके अलावा, हालांकि निजी प्रत्यर्थी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कॉलम 3.1-'विकलांग व्यक्ति' के खिलाफ 'नहीं' का संकेत देना एक गलती थी, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कॉलम 2.4-'श्रेणी' के खिलाफ, इसे 'सामान्य' के रूप में कहा गया है। इसके अलावा सामान्य उम्मीदवारों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क रु 250 / - जबकि योग्य विकलांग आवेदक के लिए यह रु 50 तय किया गया है। निजी प्रत्यर्थी ने अपनी श्रेणी को 'सामान्य' के रूप में इंगित करने के अलावा 250 रुपये का शुल्क का भुगतान किया जैसा लागू होता है। इसके अलावा, हालांकि वर्तमान में 05.07.2010 दिनांकित विकलांगता प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जाता है, लेकिन यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि वह आवेदन के साथ संलग्न था या साक्षात्कार के पूरा होने तक प्रस्तुत किया गया था। इस पहलू पर, यह तर्क देने के लिए कि निजी प्रत्यर्थी इसके विपरीत दावा नहीं कर सकता है, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने ***जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग बनाम इसरार अहमद*** (2005) 12 एस. सी. सी. 498 के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह पैरा 5 में दिया गया हैः

> 5. हमने दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है। प्रथम प्रत्यर्थी के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसने आरक्षण पाने के हकदार उम्मीदवार के रूप में चयन के लिए आवेदन नहीं किया है। उन्होंने अपने आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया। यह तथ्य कि उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा के लिए लाभ नहीं उठाया है, उन्हें एक ऐसे उम्मीदवार के रूप में मानने के लिए पर्याप्त है जो आरक्षण पाने का हकदार नहीं है। उन्होंने एक सामान्य उम्मीदवार के रूप में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद के चरण में मुख्य परीक्षा में वह इस आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता कि वह केवल बाद के चरण में आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सफल रहा। चयन के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार की प्रकृति और स्थिति को केवल समान माना जा सकता है और एक बार जब कोई उम्मीदवार उस श्रेणी का चयन कर लेता है जिसके वह हकदार है, तो वह बाद में स्थिति को बदल नहीं सकता है

और नया दावा नहीं कर सकता है। डिवीजन बेंच द्वारा यह अभिनिर्धारित करना सही नहीं था कि एक उम्मीदवार के रूप में उनके पास योग्यता थी और बाद के चरण में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उसे आरक्षण का हकदार बना देगा। इसलिए, हम खंड पीठ के फैसले को दरकिनार करते हैं और अपील की अनुमति देते हैं। कोई लागत नहीं।

16. इसके अलावा ***महापंजीयक, कलकत्ता उच्च न्यायालय बनाम श्रीनिवास प्रसाद शाह और अन्य*** (2013) 12 एस. सी. सी. 364 पर भरोसा किया जाता है, जिसमें इस न्यायालय ने ऐसे मामले में दावे को अस्वीकार कर दिया है जहां आवेदन में आरक्षण की श्रेणी का संकेत दिया गया था, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और सामान्य श्रेणी का शुल्क उम्मीदवार के द्वारा भुगतान किया गया। इसके अलावा, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ इस तथ्य के अलावा निजी प्रत्यर्थी के दावे में अंतर्निहित विरोधाभासों को भी संदर्भित करते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित श्रेणी के तहत विचार नहीं किया जाना चाहिए।

17. इस संबंध में यह बताया गया है कि वर्तमान में दिनांकित अक्षमता प्रमाण पत्र 05.07.2010 के अनुसार भी, स्थायी अक्षमता के विवरण को हेमिप्लेजिया-गैर कार्यात्मक हाथ के रूप में दिखाया गया है। उस पृष्ठभूमि में यह बताया गया है कि हालांकि इसमें दर्शाई गई अक्षमता की प्रकृति यही है जो लोकोमोटर अक्षमता होगी, दिनांकित 28.11.2016 के अभ्यावेदन में, जिसे देर से बनाया गया था, निजी प्रत्यर्थी ने दावा किया है कि वह दृष्टिबाधित है, 80 प्रतिशत से अधिक और किया गया संदर्भ उसी दिनांकित 05.07.2010 अक्षमता प्रमाण पत्र का है। निजी उत्तरदाता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निसन्देह हेमिप्लेजिया से संबंधित एक लेख का उल्लेख किया है जिसमें देखने में कठिनाइयों का भी उल्लेख किया गया है। विवाद की प्रकृति से यह संकेत मिलता है कि तत्काल तथ्यों में श्रेणी के तहत आवेदन में दावा किया जाना चाहिए था और आवेदन के साथ विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी क्योंकि विकलांगता की प्रकृति एक ऐसा मामला था जिस पर संबंधित भर्ती अधिकारियों द्वारा विचार किया जाना था, यदि आवश्यकता हो तो चिकित्सा जांच पर होना चाहिए। यदि हेमिप्लेजिया के परिणामस्वरूप दृष्टि हानि पर विचार किया जाना था, तो दृष्टि हानि

द्वारा अक्षमता का प्रतिशत भी प्रासंगिक होगा और उसी को उचित स्तर पर निर्धारित करने की आवश्यकता थी।

18. इसलिए, ऐसी परिस्थिति में जहां मुद्दा यह है कि क्या दावा की गई अक्षमता लोकोमोटर अक्षमता या दृष्टि हानि है और अपने आप में एक बहस का विषय होने के कारण, न्यायालय के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में कार्य करना संभव नहीं होगा और ऐसी परिस्थिति में एक विशेष तरीके से इस पर विचार करने का आदेश भी उचित नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कोई मामला बनाया जाता है तो विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसर अधिकार के रूप में प्रदान किए जाने चाहिए और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि, तत्काल तथ्यों में जब दावा नहीं किया गया था और बहस योग्य मुद्दे हैं, हालांकि हम निजी प्रत्यर्थी के कारण के साथ सहानुभूति रख सकते हैं, किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश को न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। यह और भी अधिक है, ऐसी परिस्थिति में जहां अपीलकर्ताओं ने राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 10 के संदर्भ में कार्य किया था, जब कोई अन्य दावा उपलब्ध नहीं था और उन्होंने किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवार को नियुक्त किया था और जब इस तरह की नियुक्ति की गई है तो इस समय ऐसे उम्मीदवार को परेशान करना भी उचित नहीं होगा। उपरोक्त सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 04.05.2017 आदेश को अस्थिर पाते हैं और उसे रद्द करते हैं।

19. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है, खर्चे के लिए कोई आदेश नहीं। सभी लंबित आवेदनों को निराकृत किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई

श्रीमति भारती केशरी कश्यप